क्लैरो मित्र नीति

Version	1.0
Date	1 March 2016

नियम और शर्तें

योजना:

एक ऐसी योजना जिसमें अतिरिक्त पैसे कमाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति इस कंपनी के निर्दिष्ट कर्मचारियों के माध्यम से क्लाइंट्स को क्लैरो एनर्जी का संदर्भ देकर (रेफ़र करके) इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

क्लैरो एनर्जी मानती है कि ग्राहक सबसे अच्छे प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी की त्वरित प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) और गुणवत्ता मानकों का अनुभव किया हुआ है। इसके अलावा, कंपनी यह भी समझती है कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में मूल स्तर पर जुड़े हुए हैं, वे अंतिम उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं। इसलिए, कंपनी ने ऐसे सभी व्यक्तियों को अपने रेफ़रल कार्यक्रम “क्लैरो मित्र” के ज़रिए पारितोषिक (रिवॉर्ड) देने का फ़ैसला लिया है और नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन उन्हें ग्राहकों का संदर्भ देने के लिए निर्दिष्ट संदर्भ (रेफ़रल) राशि प्राप्त होगी।

कौन योग्य है

योग्यता मापदंड की पूर्णता को क्लैरो मित्र बनने के आवेदन की स्वीकार्यता के आश्वासन के रूप में नहीं समझा जा सकता। क्लैरो मित्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के आवेदन को स्वीकार और/या अस्वीकार करने का विशिष्ट अधिकार इस कंपनी के पास सुरक्षित है। निम्नलिखित दो श्रेणियों के लोग आवेदन करने के लिए योग्य हैं:

1. एक ऐसा किसान जो क्लैरो एनर्जी का ग्राहक है, कंपनी की सहमति के बाद वह क्लैरो मित्र बन सकता है। इंस्टॉलेशन और हैंड ओवर का काम पूरा हो जाने पर ग्राहक को यह विकल्प दिया जाएगा और अगर वह व्यक्ति क्लैरो मित्र बनने का विकल्प चुनता है तो कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा उसे समझाई गई प्रक्रिया के अनुसार इस विकल्प की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
2. ग्रामीण नेटवर्क की व्यापक पहुँच वाला और दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन करने के लिए योग्य है। दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति नीति का विवरण जानने के लिए कंपनी या उसके प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकता है। इस नीति के रेफ़रल कार्ड बुकलेट को देखने के बाद, अगर वह व्यक्ति क्लैरो मित्र बनना चाहता है तो उसे इस

संबंध में कंपनी के प्रतिनिधि से बात करनी होगी और कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा समझाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

क्रियाविधि

1. क्लैरो मित्र कंपनी के संबंधित प्रतिनिधि से बात करेगा और रेफ़रल कार्ड बुकलेट में ज़रूरी विवरण भरेगा। रेफ़रल के 30 दिनों के भीतर रेफ़रल कार्ड को नई दिल्ली स्थित कंपनी के प्रधान कार्यालय के पते "क्लैरो एनर्जी, एफ़-213/ए, पहली और दूसरी मंजिल, पुराना महरौली बदरपुर मार्ग, लाडो सराय, नई दिल्ली" पर भेजा जाना चाहिए।

   निम्नलिखित ईमेल आईडी पर भरे हुए रेफ़रल कार्ड बुकलेट की स्कैन कॉपी भेजकर रेफ़रल कार्ड ऑनलाइन भी भेजे जा सकते हैं:

   claromitra@claroenergy.in

   क्लैरो एनर्जी इस प्रोसेस को डिजिटल बनाने की भी कोशिश में है और इस प्रोसेस में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में आवश्यकतानुसार सूचित कर दिया जाएगा।

2. विवरण प्राप्त हो जाने पर क्लैरो एनर्जी संदर्भित (रेफ़र किए गए) क्लाइंट से बातचीत शुरू कर देगी। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्लैरो मित्र द्वारा भरे गए रेफ़रल कार्ड क्लैरो एनर्जी को बाध्य नहीं करता क्योंकि यह प्रस्ताव का आमंत्रण मात्र है। क्लैरो एनर्जी के पास किसी भी चरण में प्रस्ताव का आमंत्रण स्वीकार करने / चुनने / अस्वीकार करने / आस्थगित करने / वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है जिसमें रेफ़रल सूचना प्राप्त करने के बाद का चरण शामिल है लेकिन इसी तक सीमित नहीं है और क्लैरो एनर्जी स्वविवेक से किसी भी चरण में इस प्रकार के निर्णय के लिए कोई कारण बताए बिना संदर्भित क्लाइंट की आगे की प्रक्रिया और इंस्टॉलेशन को भी रोक सकती है।

3. बाद में होने वाली बातचीत के दौरान संदर्भित क्लाइंट को कंपनी की ओर से एक कोटेशन प्रदान किया जाएगा। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कंपनी संदर्भित क्लाइंट से कोटेशन दस्तावेज़ में क्लैरो मित्र के नाम का उल्लेख करने और अन्य प्रासंगिक विवरण देने के लिए कह सकती है।.

4. प्रत्येक क्लैरो मित्र को पहचान के लिए एक यूनीक आईडी दी जाएगी। क्लैरो मित्र को यूनीक नंबर वाली रेफ़रल कार्ड बुकलेट और/या स्मार्ट फ़ोन आधारित एप्लिकेशन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाएगा। रेफ़रल कार्ड प्रस्ताव का आमंत्रण मात्र है और किसी भी परिस्थिति में उसे कंपनी द्वारा दिया गया प्रस्ताव/रेफ़रल नहीं समझा जा सकता। कंपनी

का इरादा कोई ऐसा संबंध स्थापित करने का बिल्कुल भी नहीं है जिसे साझेदारी या एजेंसी के रूप में देखा जा सकता हो।

5. डिजिटल और साथ ही नॉन-डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की प्रक्रिया के लिए इस नीति के नियम और शर्तें एक जैसी हैं।

6. प्रधान कार्यालय तक विवरण पहुँच जाने के बाद भुगतान जारी करने से पहले उनकी जाँच की जाएगी। एक बार कंपनी को बैंकर/स्वामी द्वारा संदर्भित प्रणाली का पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने पर, चाहे जो भी स्थिति हो, कंपनी राशि जारी करते समय टीडीएस काटकर और लागू कानून के अंतर्गत रेफ़रल राशि जारी कर देगी।

7. इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर किसी एक क्लाइंट को विभिन्न क्लैरो मित्रों द्वारा संदर्भित (रेफ़र) कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में क्लाइंट को संदर्भित करने के लिए ज़िम्मेदार क्लैरो मित्र के चयन का निर्णय कंपनी के ऊपर होगा। उपर्युक्त परिस्थिति सहित, जिनमें और भी परिस्थिति याँशामिल हो सकती हैं , किसी भी अपेक्षित/अनपेक्षित परिस्थिति में कमीशन के लिए योग्य क्लैरो मित्र का चयन करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है और क्लैरो एनर्जी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी स्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

क्लैरो मित्र की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ

1. क्लैरो मित्र से अपेक्षा की जाती है कि वे सोलर वॉटर पम्प के लिए संभावित ग्राहकों के संबंध में इच्छुक ग्राहकतैयार करें।
2. इच्छुक ग्राहक या तो प्रत्यक्ष विक्रय हो सकते हैं या नाबार्ड (NABARD) दिशानिर्देशों के अंतर्गत किए जाने वाले विक्रय हो सकते हैं, जिन्हें नाबार्ड द्वारा जारी किया गया है, सर्कुलर संख्या 252/DOR-GSS-60-2014 और अनुवर्ती अधिसूचना सर्कुलर सं ख्या 88 14 मई 2015/DoR-GSS-26/2015 देखें।
3. क्लैरो मित्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे संभावित ग्राहकों को आवश्यक सही जानकारी प्रदान करेंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्केटिंग सहायक के तौर पर केवल अधिकृत कंपनी प्रतिनिधि द्वारा प्रदान किए गए डेटा का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति में वे खुद से किसी सामग्री को डिज़ाइन / मुद्रित / इस्तेमाल नहीं करेंगे या कंपनी की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं करेंगे।
4. यह सुनिश्चित करना क्लैरो मित्र की ज़िम्मेदारी है कि संदर्भित ग्राहक इस दस्तावेज़ के साथ लगाए गए अनुलग्नक-ए के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ भेजेंगे। इसके अतिरिक्त

कंपनी प्रतिनिधि के प्रति सभी दस्तावेज़ों का सबमिशन भी क्लैरो मित्र को निर्दिष्ट कर्तव्य है।

5. क्लैरो मित्र की ज़िम्मेदारी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि संदर्भित ग्राहक बैंक से या सीधे तौर पर, चाहे जो भी स्थिति हो, कंपनी द्वारा वर्क ऑर्डर प्राप्त कर लेने के बाद ऑर्डर रद्द न करें। इसके अतिरिक्त “रद्दनहीं किया जा सकता ” के बारे में ग्राहक को जानकारी देने की ज़िम्मेदारी क्लैरो मित्र की है। रद्दीकरण की स्थिति में क्लैरो मित्र को कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा और ग्राहक द्वारा जमा की गई अंतर राशि को इस प्रोसेस में शामिल संबंधित बैंक द्वारा क्लैरो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
6. अगर विक्रय नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अंतर्गत किया गया है तो यह सुनिश्चित करना क्लैरो मित्र की ज़िम्मेदारी है कि किसान आवश्यक अंतर राशि जमा करे और उसे बैंक खाते में वैसे ही छोड़ दे।
7. प्रत्येक क्लैरो मित्र को एक रेफ़रल कार्ड बुकलेट और/या स्मार्ट फ़ोन आधारित ऐप्लिकेशन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाएगा, जो कि उन्हें रेफ़रल योजना में एक सक्रिय भागीदार के रूप में अधिकृत करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि रेफ़रल के बाद उचित समय में कंपनी के नियमों और शर्तों के अनुसार आवश्यक विवरण कंपनी को भेजे जाएँगे।

भुगतान की शर्तें

1. कंपनी को जैसे ही विक्रय की पूरी राशि प्राप्त हो जाएगी उसके तुरंत बाद कंपनी रेफ़रल राशी जारी कर देगी। किसी भी परिस्थिति में इच्छुक ग्राहक के परिचय मात्र से ही रेफ़रल राशि नियत नहीं समझी जाएगी।
2. कंपनी ने क्लैरो मित्र के चार स्तर बनाए हैं, जो कि जर्मिनेटर, ग्रोअर, बूस्टर और प्रोड्यूसर हैं। आमतौर पर क्लैरो मित्र दस विक्रय लेनदेन पूरा करने के बाद अपने मौजूदा रेफ़रल स्तर से अपग्रेड होकर अगले उच्चतर स्तर पर पहुँचने के योग्य हो जाएँगे। कंपनी के पास स्वविवेक से किसी भी स्तर में परिवर्तन / संशोधन करने / उसे हटाने या लक्ष्य पूरा न होने पर भी किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्तर के लिए चुनने का अधिकार सुरक्षित है।
3. हर स्तर के लिए रेफ़रल राशि उचित समय पर कंपनी की नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा रेफ़रल राशि के विवरण के बारे में क्लैरो मित्र को बता दिया जाएगा।

4. रेफ़रल योजना सीधे तौर पर दिए जाने वाले रेफ़रल के लिए मान्य होगी, न कि बाद में होने वाले रेफ़रल/क्लाइंट के लिए, जो कि उस शुरुआती रेफ़रल के ज़रिए प्राप्त हो सकते हैं, जिनके लिए क्लैरो मित्र को भुगतान मिल चुका है या किसी संदर्भित इच्छुक ग्राहक/क्लाइंट द्वारा पहले कभी रेफ़र किया गया हो।
5. इच्छुक ग्राहक को केवल उस स्थिति में संपन्न माना जाएगा जब सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाए और कंपनी को बैंक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाए। केवल इच्छुक ग्राहक प्रदान करना किसी भी परिस्थिति में कभी भी ऐसे रेफ़रल के तौर पर नहीं समझा जाएगा जिसमें इन्सेंटिव दिया जाता हो।
6. भेजे गए सभी दावे कंपनी द्वारा की जाने वाली जाँच के अधीन होंगे और जाँच पूरी होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। आवश्यक टीडीएस काटने के बाद और अन्य लागू कानूनों के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। कंपनी तिमाही आधार पर क्लैरो मित्र को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

सेवा समाप्ति

1. कंपनी व्यवसाय या कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करते समय क्लैरो मित्र की ओर से की जाने वाली कोई भी लापरवाही दुर्व्यवहार के रूप में देखी जाएगी। कोई भी दुर्व्यवहार क्लैरो मित्र की सेवा समाप्ति का कारण होगा।
2. अगर यह पाया जाता है कि क्लैरो मित्र ने ग्राहक को गलत संचार / बहुतायत प्रतिबद्धता / अवास्तविक वचन / गलत जानकारी प्रदान की है, जो कि कंपनी की नीति से परे है, तो कंपनी क्लैरो मित्र के साथ तत्काल प्रभाव से संबंध समाप्त कर देगी।
3. उपरोक्त खंड 1, 2 और 3 के अलावा, इस तरह का कोई भी व्यवहार/दुर्व्यवहार, जो कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है, किन्हीं भी नियमों और शर्तों का उल्लंघन और कोई भी अन्य व्यवहार, जो कि कंपनी द्वारा स्वीकार्य नहीं है, क्लैरो मित्र की सेवा समाप्ति का कारण होगा। क्लैरो मित्र सभी दस्तावेज़ों को कंपनी के प्रतिनिधि को वापस सौंपने के लिए बाध्य है, इन दस्तावेज़ों में पहचान पत्र और रेफ़रल कार्ड शामिल हैं तथा और भी दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं।

योजना में सुधार/रद्दीकरण

1. क्लैरो एनर्जी इस प्रस्तावित रेफ़रल योजना का एकमात्र सर्जक और निष्पादक है और इसके पास इस योजना में कभी भी परिवर्तन / सुधार करने या उसे वापस लेने के सारे

अधिकार सुरक्षित हैं। इस योजना के संबंध में कंपनी द्वारा लिया जाने वाला कोई भी निर्णय अंतिम समझा जाएगा।

2. योजना में परिवर्तन या वापसी के मामले में कंपनी सूचना देगी। इसके अलावा, इस प्रकार की योजना को समाप्त करने के बाद किसी भी प्रकार के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जब नीति के लागू रहने के दौरान रेफ़रल की कार्रवाई संपन्न होने के कारण कंपनी के खाते में अंतिम भुगतान आ गया हो।

विवाद समाधान

इस नीति से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आएगा।